## सार-समाचार

### छह दिवसीय समर कैम्प का शुभारंभ

**कोटा,** (निसं)। पूज्य सिंधी पंचायत झूलेलाल धर्मशाला स्टेशन की ओर से छह दिवसीय समर कैम्प का शुभारंभ धर्मशाला परिसर में सांस्कृतिक गतिविधियों से हुआ। संरक्षक हरीश जगवानी, अध्यक्ष बजरंग सुखवानी, महासचिव गोपाल मूलचंदानी, मीडिया प्रभारी किशन रतनानी, सांस्कृतिक सचिव नरेश कारा, महिला समिति अध्यक्ष दक्षा जेसवानी, महासचिव पूनम रतनानी, शिविर समन्वयक कांता तेजवानी, वर्षा सतवानी, सुनीता वृंदवानी ने कैम्प में भाग लेने वाले बच्चों और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। कैम्प में नृत्य, महन्दी, आर्ट व कला, ग्राफिक्स, पर्सनिलिटी डेवलपमेन्ट आदि का प्रशिक्षण निशुल्क दिया जा रहा है। प्रशिक्षण सिमरन इदनानी, अनिका तलरेजा, हिमानी जेठवानी द्वारा दिया जा रहा है। कैम्प का समापन 13 मई को होगा, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

### 505 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया

**रामगंजमण्डी,** (निसं)। स्थानीय पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए गुरुवार को मुल्जिम को गिरफ्तार कर उसके पास से 505 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि 8 मई को पुलिस थाना रामगंजमंडी ने कार्यवाही करते हुये 505 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को जप्त करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत नाकाबन्दी के दौरान रामकल्याण मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण के निर्देशन में तथा घनश्याम मीणा वृताधिकारी रामगंजमंडी के सुपरविजन मे मनोज सिंह सिकरवार पु.नि. थाना रामगंजमंडी मय टीम द्वारा श्री सिद्धी नगर प्लानिंग खाली खैराबाद बाईपास रामगंजमंडी पर रात्रि के समय एक व्यक्ति पर संदेह होने के कारण उक्त व्यक्ति का पीछा कर रोका तथा तथा डिटेन कर मुल्जिमके कब्जे से मिले छोटे कट्टे की तलाशी ली तो कट्टे के अन्दर मिले 505 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा को जप्त किया। थाना रामगंजमंडी पर प्रकरण दर्ज कर मुल्जिम अजहर पुत्र महबूब जाति पठान मुसलमान उम्र 29 साल निवासी सुकेत रोड हिम्मतनगर रामगंजमंडी थाना रामगंजमंडी जिला कोटा को गिरफ्तार किया है।

### छेड़छाड़ व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

**कोटा,** (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मामले में दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करते हुए अभेड़ा तिराहा नान्ता से आरोपी को गिरफ्तार किया है। नान्ता थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि 3 मई को पीड़िता ने नान्ता थाने में रिपोर्ट दी। पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि उसकी निकुल नाम के युवक से दिसम्बर 2022 में जान पहचान हुई थी। रिपोर्ट में कहा कि निकुल तभी से उसका पीछा कर रहा है और उससे शादी करने के लिये दबाव बना रहा है। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने रिपोर्ट में कहा कि महाशिवरात्रि के दिन निकुल ने उससे छेड़छाड़ की और उससे जबरदस्ती भी की। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि उसके बाद उसकी शादी अन्य जगह तय होने के बाद से निकुल उसे फोन करके बदनाम करने की धमकी दे रहा है साथ ही उसको शादी दूसरी जगह करने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिये गठित पुलिस टीम ने मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए करणी नगर नान्ता निवासी निकुल कुशवाह (23) को अभेड़ा तिराहा नान्ता से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मामले में अनुसंधान पूरा कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी निकुल कुशवाह को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

### नान्ता गृह से पलायन बालिका दस्तयाब

**कोटा,** (निसं)। नान्ता पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए बालिका गृह नान्ता से पलायन बालिका को 3 घंटे के अंदर रंगबाड़ी चौराहे से दस्तयाब किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि 9 मई को राजकीय बालिका गृह बालिका अधिकारिता विभाग नान्ता से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ कि एक बालिका को बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार 15 अप्रैल को राजकीय बालिका गृह में अस्थाई आश्रय दिया गया था। पत्र में लिखा था कि शुक्रवार सुबह राजकीय बालिका गृह नान्ता से जब कचरा वाला टिपर कचरा लेने आया तो बालिका मौका देखकर पलायन कर गई। शहर एसपी ने बताया कि पत्र प्राप्त होने के बाद बालिका की गुमशुद्धगी दर्ज कर बालिका की तलाश की गई। शहर एसपी ने बताया कि मामला सामने आने के बाद पुलिस टीम ने तत्परता सें बस स्टेण्ड नयापुरा, रेलवे स्टेशन पर बालिका की तलाश की गई टीम को मिली सूचना पर पुलिस टीम रंगबाड़ी पहुंची पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए गुमशुद्धा बालिका को 3 घंटे के अंदर रंगबाड़ी चौराहे से रेसक्यू कर बालिका को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया।

### बूंदी ब्रांच कैनाल का निरीक्षण किया

**कोटा,** (निसं)। संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को बूंदी नहरी क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने बूंदी ब्रांच कैनाल अंतर्गत साइफन, रामगंज में लाइनिंग कार्य, कुंडालिया में प्रगतिरत नहर लाइनिंग कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने गोवर्धनपुरा में खेत सुधार कार्य विभाग द्वारा बनाए जा रहे पक्के धोरों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कार्य समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किए जाएं। निर्माण कार्य के अंतर्गत बनाई गई संरचनाओं में नियमित तराई की जाए। साथ ही कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। अभियंताओं को निर्देश दिए कि वे कार्य स्थलों की सतत् निगरानी रखें। संवेदकों को कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त हर फूल सिंह यादव, अधीक्षण अभियंता बांई मुख्य नहर सीएडी हरेत लाल मीणा, अधीक्षण अभियंता भूमि विकास वृत्त शिवलाल वर्मा एवं संबंधित अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे।

### सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ

**कोटा,** (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से नदी पार क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्हाड़ी में अब एक सोनाग्राफी मशीन स्थापित की गई हैं। शुक्रवार को चिकित्सालय में इस मशीन का समाजसेवी एवं रेडक्रॉस सोसायटी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला ने फीता काटकर एवं पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर, डॉ.चन्द्र प्रकाश कलवार प्रभारी अधिकारी जिला चिकित्सालय कोटा एवं कुन्हाड़ी सीएचसी स्टॉफ डॉ.अल्का मित्तल, डॉ.नेहा चित्तौड़ा स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। सीएमएचओ डॉ.नरेन्द्र नागर ने बताया कि चिकित्सालय में हर बुधवार को गर्भवतियों की निःशुल्क सोनोग्राफी जांच की जाएगी। डॉ.चन्द्रप्रकाश कलवार प्रभारी अधिकारी ने बताया कि कुन्हाड़ी यूसीएचसी में 247 मय दवा वितरण केन्द्र, आपताकालीन सेवाएं, नाक-कान-गला (ईएनटी), अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाऐ प्रदान कि जा रही है।


**आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड**
आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग)
मनावलकुरिची तमिलनाडु इमेल-purchase-mk@irel.co.in
An ISO 9001 , 14001 & 45001 इकाई, फोनः 04651-200402
CIN : U15100MH1950GOI008187

संदर्भः एमके/पी. विज्ञापन/2025-26/01

**निविदा सूचना / टेंडर नोटिस**

आईआरईएल मनवालाकुरिची यूनिट निम्नलिखित के लिए निविदा आमंत्रित करती हैः

| टेंडर नं. | विवरण |
|---|---|
| जीईएम/2025/बी/6186960 | 400-450 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों में भरे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति |
| आईआरईएल/एमके/ईटी/01/2526 | एमके प्लांट में विभिन्न गोदाम और स्टोर यार्ड का पुनर्निर्माण |

वोलीदाता https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in और CPP पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त निविदा में कोई भी सुधार / विस्तार केवल उपरोक्त वेवसाइटों पर ही होस्ट किया जाएगा।

CBC 48147/12/0002/2526 CGM & Head, Mk/मुख्य महा प्रबंधक एवं प्रधान, एमके


# मांस की अवैध दुकानों पर कार्यवाही

**कोटा,** (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अशोक त्यागी के निर्देशानुसार अवैध रूप से संचालित मीट व मांस की दुकानों के विरूद्ध शुक्रवार को भी कार्यवाही जारी रही। कार्यवाही के दौरान अवैध विक्रेताओं को नोटिस जारी किया और कचरा फेलाने वालो पर 3000 रूपयें का जुर्माना किया गया।

नगर निगम कोटा उत्तर के उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि अवैध रूप से संचालित मीट व मांस की दुकानों पर कार्यवाही करते हुए कुन्हाड़ी क्षेत्र में स्थित चंबल पुलिया के नीचे अवैध रूप से विक्रय कर रहे 15 मछली विक्रेताओं को हटाया गया व सामान जब्त किया।

इस दौरान मार्केट में कचरा फेलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3000 रूपयें की जुर्माना राशि वसूली गई। उपायुक्त सिसोदिया ने बताया कि कार्यवाही के दौरान घंटाघर क्षेत्र में 13 व श्रीपुरा में 11 एवं स्टेशन क्षेत्र की 19 मीट-मांस की दुकानों को लाईसेंस प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए गए और जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नही थे उन संबंधित दुकानो को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही अवैध विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी।

कोटा नगर निगम मांस की अवैध दुकानों पर कार्यवाही कर रहा है।

अवैध होर्डिंग्स हटाये:- नगर निगम कोटा उत्तर के उपायुक्त महावीर सिंह सिसोदिया ने बताया कि पिछले 5 दिवस से अवैध होडिंग व पोस्टर, बेनर को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी मे उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध रूप से लगे होडिंग पोस्टर्स को सार्वजनिक स्थलों व संपत्तियों से हटाया गया और संपत्ति विरूपण को लेकर विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध पुलिस के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराई गई। उपायुक्त सिसोदिया ने बताया कि अब तक की गई कार्यवाही में लगभग 700 अवैध होडिंग, कियोस्क, पोस्टर व बेनर हटाए जा चुके है।

साथ ही 54 व्यक्तियों के विरूद्ध सार्वजनिक संपत्तियो पर अवैध रूप से होडिंग, बैनर लगाए जाने के तहत संबंधित के विरूद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत शहर के विभिन्न थानों में एफआईआर के लिए परिवाद दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

## रंजिश को लेकर हमला, दो घायल

**छबड़ा** (निसं)। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिष के चलते एक पक्ष के लोगो ने दूसरे पक्ष के लोगो पर हमला कर दिया। जिसमें दो लोग घायल हो गए। जिन्हे प्राथमिक उपचार के बाद बारां रैफर कर दिया। सूत्रो के अनुसार छत्रपुरा निवासी भारतसिंह गुर्जर (36) व हरिषंकर गुर्जर (40) के साथ जांचरोंडा निवासी दूसरे पक्ष के लोगो ने पुरानी रंजिष को लेकर हमला कर दिया। जिससे ये दोनो घायल हो गए। जिन्हे उपचार के लिए छबड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, यहां से उन्हे बारां रैफर कर दिया। पुलिस का कहना है इस मामले में अभी तक कोई परिवाद नही आया हैं। परिवाद आने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

## गैंगस्टर शिवराज तीन दिन के रिमांड पर

**कोटा,** (निसं)। मंदिर की जमीन पर पार्टनरशिप मंदिर पुजारी को धमकाने के मामले में पकड़े गये गैंगस्टर शिवराज सिंह सहित पकडे गये आठ आरोपियों को रिमाण्ड अवधि पूरी होने पर शुक्रवार को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को तीन दिन की और पुलिस रिमाण्ड पर सौंपा गया है। कुन्हाडी थानाधिकारी अरविन्द्र भारद्वाज ने बताया कि गैंगस्टर शिवराज सिंह सहित आठ आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है।

## नाम परिवर्तन

मेरी एल.आई.सी. पोलिसी संख्या 186524457 है। जिसमें मेरा नाम गेंद बिहारी आलेखित हो गया है। जबकि मेरा सही नाम सुरेश मीणा है। बाकी सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेश मीणा है। अत: भविष्य में मुझे सुरेश मीणा के नाम से ही जाना जावे।

**पता-सुरेश मीणा पुत्र बनवारी लाल सिमलिया, कोटा**

## हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारुप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची संख्या 4)

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, भवानीमण्डी
CM (38) 53/2024
याधवेन्द्र कुमार...विरुद्ध..यशोदा देवी व अन्य
पेटीशन अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार कानून

उक्त प्रार्थी ने CDSL (सैंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड) डीमैट अकाउंट आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा कोटा में स्थित है जिसका बी.ओ. नं. 1301760000029497 है, आई.एस.आई.एन नाम-आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ISIN CODE-ING090 A 01021 में जमा शेयरस् 9922 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रार्थी के नाम से चाहा है।

अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए ता. 07 मास 07 सन् 2025 को प्रात: 10.00 AM बजे स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्पर्क रुप से अनुदेश दिया गया हो उपसंज्ञात हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रुप में किया जायेगा।

यह आज तारीख 06 माह 05 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मोहर अदालत

आज्ञानुसार
रीडर
अपर जिला न्यायाधीश भवानीमंडी,
जिला-झालावाड़

## ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित रहेगी

**रामगंजमंडी,** (निसं)। रामगंजमण्डी परियोजना के राणाप्रताप सागर बांध स्थित जल स्त्रोत आम्बाकुई इन्टेक वेल से एकलिंगपुरा फिल्टर प्लांट आ रही 500 एमएम डीआई व एम एस पाइप लाइन आम्बा कुई के पास बार बार आ रहे विद्युत व्यवधान व ट्रिपिंग के कारण दो स्थानों पर लीकेज हो गई है। जिसमें अत्यधिक पानी का रिसाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में पाइप लाइन को बंद कर रिपेयर करना अतिआवश्यक है।

सहायक अभियंता ग्रामीण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बलभद्र शर्मा सहायक अभियंता ग्रामीण जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने बताया कि कार्य करने हेतु पाइप लाइन का 10 मई शनिवार को शटडाउन लिया जाएगा। जिसके कारण 10 मई शनिवार शाम व 11 मई रविवार प्रात: होने वाली जल सप्लाई चेचट, मोड़क स्टेशन, मोड़क गांव व परियोजना से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

# 23 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित आरोपी गिरफ्तार

**कोटा,** (निसं)। भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए 23 किलो 508 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है।

शहर एसपी ने बताया कि भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा ने मय जाप्ता इलाके में गश्त के दौरान पानी की टंकी के समीप एक जने पर संदेह होने पर उसको डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 23 किलो 508 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए सारणों का तला आडेला थाना रागेश्वरी निवासी जोगा राम (32) को गिरफ्तार किया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

भीमगजमंडी पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/100974 **लोक सूचना** दि.09.05.2025

श्री PREM SHANKAR SHARMA पुत्र श्री GOVERDHAN LAL SHARMA जाति BRAHMAN निवासी B-07, SHUBH AANGAN ,RAIPURA -KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रायपुरा, लाडपुरा (कोटा) | KUNJ BIHARI S/O SH. LATUR,KUMHER S/O SH. LATUR, BANWARI LAL S/O SH. KESARA | 301 | 10100 | 1.01 |
| | | | | कुल | 1.01 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 09/05/2025 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

## कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/100972 **लोक सूचना** दि.09.05.2025

श्री BHUPENDERA JHURIA पुत्र श्री MAHENDRA SINGH जाति CHUDHARY निवासी TEH- BHATRA, VILLAGE :- PARALI, HANUMANGARH ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

| क्र. सं. | ग्राम तहसील व जिले का नाम | खातेदार का नाम | खसरा सं. | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | क्षेत्रफल (हैक्टे.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 101 | 3900 | 0.39 |
| 2. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 649/103 | 300 | 0.03 |
| 3. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 651/105 | 800 | 0.08 |
| 4. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 672/100 | 300 | 0.03 |
| 5. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 674/653 | 250 | 0.025 |
| 6. | रामनगर, लाडपुरा (कोटा) | VRB DEVELOPERS LLP | 676/97 | 40 | 0.004 |
| | | | | कुल | 0.559 |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 9/5/2025 को जारी की गयी।

**प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

# घर पर छापा मारकर 573 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा पकड़ा

**कोटा,** (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के सतत प्रयासों के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन.) टीम ने 573.380 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जप्त करने में सफलता प्राप्त की हैं। यह कार्यवाही उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल के मार्गदर्शन में की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मादक पदार्थ विरोधी अभियान जारी रखते हुए केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), चित्तौड़गढ़ सेल और प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों ने एक घर पर छापा मार कर 573.380 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया और एक मारुति ऑल्टो कार को भी जब्त कर लिया है।

उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली की मध्यप्रदेश के जिला मंदसौर तहसील मल्हारगढ़ सोनी गांव में एक घर में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा संग्रहित करके छुपा रखा है। सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल तथा प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों की एक टीम गठित करके उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया, टीम ने कार्यवाही करते हुए 573.380 किलोग्राम वजन के 37 बैग अवैध डोडा चूरा बरामद किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद डोडा चूरा और वाहन को एन.डी.पी.एस. अधिनियम, के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने कहा कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन) अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्यवाही जारी रखेगा ताकि राज्य में नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जा सकें।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद किया।

## अकेडमिक काउन्सिल की चतुर्थ बैठक सम्पन्न

**कोटा,** (निसं)। अकादमिक परिषद की चतुर्थ बैठक विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। विश्वविद्यालय के प्रेसिडेण्ट प्रो.डी.पी. तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कुलसचिव डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा एजेण्डा के रूप समस्त स्नातक, परास्नातक, विधि के साथ-साथ नए पाठ्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा व कुलसचिव तथा प्रेसिडेंण्ट के निर्देशानुसार गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किए गए परीक्षा विनियमों का अनुमोदन सम्मिलित था, पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त कुलसचिव डॉ. नरेन्द्र कुमार शर्मा समस्त कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्ध अध्ययन, विशुद्ध कला अध्ययन, होटल प्रबन्धन एवं केटरिंग टेक्नालोजी, फायर एण्ड सेफ्टी, फिजियोथेरेपी, विधि अध्ययन, वास्तुकला, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अण्ययन, कम्प्यूटर साइन्स, शिक्षा शास्त्र आदि विषयों अन्तर्गत संचालित समस्त कक्षाओं के लिए निर्मित पाठ्यक्रमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 325 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 9.5.25

आवास संख्या 1-सी-41 महावीर नगर तृतीय कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री हरिशंकर त्रिपाठी पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री शंकर लाल गुप्ता के नाम दिनांक 27.06.1996 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री शंकर लाल गुप्ता द्वारा दिनांक 16.09.2000 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री शंकर लाल गुप्ता की मृत्यु दिनांक 11.06.2024 को हो चुकी है। श्री बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व. श्री शंकर लाल गुप्ता द्वारा इस आवास की वसीयत अपने जीवनकाल में जरिये वसीयत नामा आलेखित कर दिनांक 26.02.2024 को श्री गगन शंकर गुप्ता पुत्र श्री बृजेश कुमार गुप्ता के पक्ष में आलेखित की गई। श्री गगन शंकर गुप्ता पुत्र स्व. श्री बृजेश कुमार गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-सी-41 महावीर नगर तृतीय कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयत नामा के आधार पर श्री गगन शंकर गुप्ता पुत्र स्व. श्री बृजेश कुमार गुप्ता के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री गगन शंकर गुप्ता पुत्र स्व. श्री बृजेश कुमार गुप्ता के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री गगन शंकर गुप्ता पुत्र स्व. श्री बृजेश कुमार गुप्ता के नाम कर दिया जावेगा।

**उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा**

## कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-161 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांक:-9.5.25

नगर विकास न्यास कोटा की विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" योजना के भूखंड/आवास संख्या 1146 का आवंटन/हस्तान्तरण/रजि. न्यास के पत्र दिनांक 28.12.2022 को श्रीमती सावित्रि शर्मा पत्नी श्री जगदीश शर्मा को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री सत्यनारायण पुत्र श्री धन्नालाल द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.02.2025 को श्री चंचलेश मालव पुत्र श्री खेमराज को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1146 योजना विनोबा भावे नगर "निर्धन को आंगन" का नाम हस्तान्तरण श्री चंचलेश मालव पुत्र श्री खेमराज के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

**उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

# 'शादी से पहले कुंडली मिलान की तरह ही थैलेसीमिया की जांच जरूरी'

■ विश्व थैलेसीमिया दिवस पर जागरूकता पोस्टर का विमोचन

**कोटा,** (निसं)। विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जागरूकता के उद्देश्य से कोटा ब्लड बैंक सोसायटी, यंग इंडियन्स (कोटा चैप्टर) एवं आई.ए.पी हाड़ौती सोसायटी द्वारा जनहित में जगह-जगह पर पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। जिसके पोस्टर का विमोचन शहर पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन द्वारा किया गया।

इस अवसर पर शहर एसपी अमृता दुहन ने कहा कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा थैलेसीमिया के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि शादी-विवाह के पहले जिस तरह से लड़का और लड़की की जन्म कुंडली एवं गुणों का मिलान किया जाता है, ठीक उसी तरह से थैलेसीमिया की जांच अनिवार्य रूप से करानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित नवजात का जन्म नहीं हो। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.सीबी दास गुप्ता ने कहा कि कई बच्चे खून की गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं जो कि ला-ईलाज हैं।

ऐसे में दसवीं कक्षा में प्रवेश के वक्त ही बालक और बालिकाओं के खून की जांच अनिवार्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया रोग एक रक्त विकार है। इसमें बच्चे के शरीर में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाता है और इन कोशिकाओं की उम्र बहुत कम हो जाती है। इस कारण इन बच्चों को प्रत्येक 21 दिन में खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इस मौके पर इंडियन अकादमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के डॉ.अविनाश बंसल, डॉ.एकात्म गुप्ता, डॉ.जसवंत महावर, यंग इंडियन कोटा चैप्टर ग्रुप के को चेयर साक्षी जैन, पल्लवी गुप्ता, प्राची जैन, गयवंशी जैन मौजूद रहे।

थैलेसिमिया दिवस पर जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया गया।

## कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा राजस्थान

क्रमांक:-ननिको-द/उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2024/879 दिनांक:-24.4.25

**स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री दुर्गा सिंह निवासी आवास संख्या 365, बी.पी.टी. वेयर हाउस के सामने छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर आवास सर्वे नं. 587 छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा क्षेत्रफल 60 वर्गगज का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। आवास सर्वे नं. 587 छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा क्षेत्रफल 60 वर्गगज का आवंटन कार्यालय नगर निगम कोटा के क्रमांक ननिको/नियमन-आवंटन/1999/2566 दिनांक 08.08.2003 को श्री दुर्गा सिंह पुत्र घीसा सिंह एवं श्रीमती केसर पत्नी श्री दुर्गा सिंह को किया गया है। श्री दुर्गा सिंह की मृत्यु दिनांक 19.12.2019 को हो चुकी है। श्री दुर्गा सिंह द्वारा निष्पादित नोटेरीशुदा वसीयतनामा दिनांक 20.08.2014 से उक्त आवास की वसीयत आवेदिका श्रीमती केसर पत्नी श्री दुर्गा सिंह के पक्ष में कि गई है। उक्त आवास सर्वे नं. 587 छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें बाद मियाद आपत्ति मान्य नही होगी।

**उपायुक्त नगर निगम कोटा, दक्षिण**

## राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 326 **जाहिर आम सूचना** दिनांक - 9.5.25

आवास संख्या 3-न-1 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा डॉ. मनोहर कटेजा पुत्र श्री चन्दन दास कटेजा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन डॉ. मनोहर कटेजा पुत्र श्री चन्दन दास कटेजा द्वारा दिनांक 04.02.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर डॉ. मनोहर कटेजा पुत्र श्री चन्दन दास कटेजा की मृत्यु दिनांक 22.08.2024 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती निलम मनोहर लाल कटेजा की मृत्यु दिनांक 04.09.2024 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्री हरीश मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा एवं श्री ऋषी मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 21.03.2025 को श्री सोनू मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा के पक्ष में किया गया। श्री सोनू मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-न-1 विज्ञान नगर कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रिलीज डीड (त्याग पत्र) के आधार पर श्री सोनू मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सोनू मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री सोनू मनोहरलाल कटेजा पुत्र स्व. श्री मनोहर कटेजा के नाम कर दिया जावेगा।

**उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा**